एडवोकेसी संदर्भ केन्द्र

एक परिचय

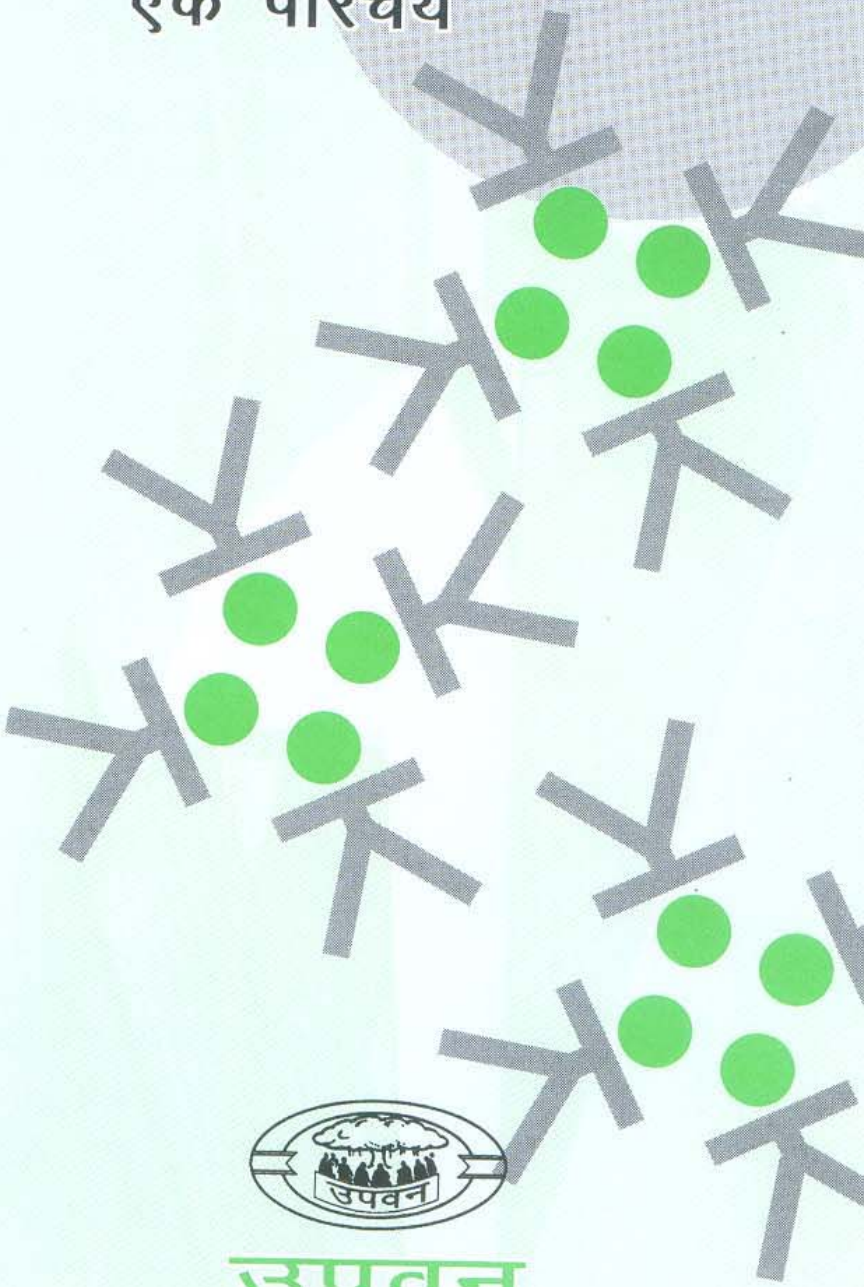

उपवन

उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क

10, सत्यलोक कॉलोनी, मोहिबुल्लापुर, मड़ियाँव,
सीतापुर रोड, लखनऊ-226 021
फोन एवं फैक्स : (0522) 2361563, 2732267
e-mail: info@upvan.org web: www.upvan.org

पृष्ठभूमि :

उत्तर प्रदेश वॉलेण्टरी एक्शन नेटवर्क(उपवन) का उद्‌भव उत्तर प्रदेश के समान सोंच और विचार वाले स्वैच्छिक संगठनों की अनौपचारिक एकजुटता से शुरू हुआ। वर्ष 1992 में अनौपचारिक रूप से तथा 1994 में औपचारिक रूप से उपवन को राज्यस्तरीय नेटवर्क का स्वरूप प्रदान किया गया। उपवन पिछले एक दशक से स्वैच्छिक कार्यसमूहों के लिये सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बनाने में प्रयासरत है। आज इसकी पहल के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों की आवाज़ बुलंद हुई है। सामूहिक आवाज़ की इस बुलंदी से एक सशक्त, सक्षम और समर्थ स्वैच्छिक माहौल बनाने में मदद मिली है।

विज़न :

''समतामूलक, स्वावलम्बी, शोषणमुक्त, सशक्त (सामाजार्थिक रूप से) एवं सर्वधर्म सम्भाव की मान्यताओं पर आधारित समाज'' का निर्माण।

मिशन :

''सामाजिक परिवर्तन से जुड़े एवं प्रयासरत स्वैच्छिक समूहों व नागर समाज संगठनों के प्रोत्साहन व संरक्षण के लिये ऐसे माहौल का सृजन करना जिसमें समाज के गरीब, वंचित एवं हाशिये पर पड़े समूहों को प्रभावित करने हेतु उनकी आवाज बुलंद हो सके।''

एडवोकेसी :

एडवोकेसी सामाजिक कार्यप्रक्रिया की एक ऐसी पद्धति है जिससे राजनीतिक, आर्थिक एवं शासकीय नीति–निर्धारकों को प्रभावित किया जा सके। इससे किसी कार्यक्रम का निर्धारण एवं कार्यान्वयन इस प्रकार किया जा सकेगा जिससे समाज में विकास की मुख्य धारा से अलग–थलग हुए पिछड़े लोगों को जोड़ा जा सकेगा। इस प्रकार एडवोकेसी जनहित के लिये मौजूदा परिस्थितियों में परिवर्तन हेतु सुनियोजित नीति है। उपवन द्वारा सामुदायिक एवं सामाजिक परिवेश को प्रभावित करने वाले सम–सामयिक मुद्‌दों की एडवोकेसी करने की कार्यनीति अपनाई गई है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के मुद्‌दों, यथा सामान्य

जन–जीवन को प्रभावित करने वाले तथा राज्य में स्वैच्छिक संस्थाओं के संगठनात्मक कार्यक्रम व गतिविधियों से संबंधित, पर गहन रूप से अध्ययन किया जायेगा। अध्ययन की उपलब्धियों के आधार पर नागर समाज संगठनों से विचार–विनिमय कर संबंधित नीति–निर्धारकों, अधिकारियों को कार्यवाही हेतु संदर्भित किया जा सकेगा। इसके उद्देश्य निम्न प्रकार निरूपित किये जा सकते हैं :

- किसी कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पैरवी के माध्यम से अनुकूल वातावरण निर्माण में सहायता देना;
- सभी महत्वपूर्ण सूचना के संकलन, अभिलेखीकरण तथा विश्लेषण के सतत एवं प्रभावी प्रवाह के माध्यम को सशक्त करना;
- नीति–निर्धारकों पर इस बात के लिये दबाव बनाना कि जनहित में लोकोन्मुखी एवं जनतांत्रिक मूल्यों पर आधारित नीति निर्धारण हो सके।

एडवोकेसी रिसोर्स सेण्टर :

'उपवन' द्वारा अपनी निर्धारित कार्यनीति के अनुसार वर्ष 2005 में एक एडवोकेसी रिसोर्स सेण्टर की स्थापना की गई। इस सेण्टर द्वारा पूर्व वर्षों की भाँति स्वैच्छिक संस्थाओं के मुद्दों पर एडवोकेसी करने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त दो ऐसे मुद्दे लिये गये हैं, जिनका सीधा संबंध गरीबों एवं हाशिये पर रहने वाले लोगों से है। इनमें से एक मुद्दा गरीबी की जीवन रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वालों से संबंधित है। दूसरा मुद्दा प्राथमिक विद्यालयों में दोपहर भोजन योजना से संबंधित है। इन मुद्दों का संक्षिप्त परिचय अगले प्रस्तरों में दिया जा रहा है।

स्वैच्छिक संगठनों पर विपरीत प्रभाव डालने वाले विधेयक/कानून:

शासन द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं को अभिशासित करने के लिये निर्धारित नीति के अंतर्गत अनेक अधिनियम एवं कानून बनाये गये हैं। इनमें से बहुत से कानून, यथा सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 एवं एफ.सी.आर.ए. 1976 स्वैच्छिक संस्थाओं के सुचारु रूप से कार्य करने में बाधक साबित हुये हैं।

ऐसे अधिनियमों एवं कानूनों का गहन रूप से अध्ययन किया जायेगा। अध्ययन का विश्लेषण किया जायेगा। अध्ययन की उपलब्धियों और निष्कर्षों पर हितभागियों, नागर समाज संगठनों, मीडिया, प्रबुद्ध वर्ग तथा संबंधित अधिकारियों से विचार–विनिमय किया जायेगा। ये हितभागी उद्धृत मुद्दों को उस स्तर तक आगे ले जायेंगे जहां नीति निर्धारण स्तर पर परिवर्तन लाया जा सके। इसका प्रमुख केन्द्र बिंदु हितभागियों को नीति–निर्धारकों द्वारा बनाये गये अधिनियमों एवं कानूनों द्वारा पैदा की गई अड़चनों के प्रति जागरूक एवं संवेदित करना होगा।

ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन:

देश में स्वाधीनता प्राप्ति के पश्चात् समाज के पिछड़े वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये प्राथमिक आवश्यकता ग्रामीण जनता में व्याप्त गरीबी निवारण की मानी गई है। अतैव सरकार द्वारा सभी पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्रधानता दी गई। उत्तर प्रदेश में वर्ष 1973-74 में गरीबी रेखा से जीवन–यापन करने वाली आबादी का प्रतिशत 57.07 था। दसवीं पंचवर्षीय योजनावधि में इसे घटाकर 25.41 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। गरीबी की रेखा का निर्धारण एक व्यक्ति द्वारा खाद्य सामग्री पर व्यय की गई धनराशि पर आधारित किया गया है। खाद्य सामग्री का मानक ग्रामीण क्षेत्र तथा नगरीय क्षेत्र के लिये एक व्यक्ति पर क्रमशः 2400 एवं 2100 कैलोरी रखा गया है।

गरीबी की जीवन रेखा से ऊपर उठाने के लिये निर्धन व्यक्तियों को आय के स्रोत उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत कई योजनायें/कार्यक्रमों, यथा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि संचालित किये गये हैं।

उपरोक्त योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम पात्र से व्यक्तियों को सहायता उपलब्ध कराने के लिये यह

आवश्यक था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों(बी.पी.एल.)का अभिज्ञापन किया जाय। इस दिशा में प्रयास अस्सी के दशक से ही चल रहे हैं, किंतु विश्वसनीय सूची नहीं बन सकी थी। अतएव दसवीं योजनावधि में उत्तर प्रदेश शासन के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को बी.पी.एल. सूची तैयार करने के निर्देश दिये गये थे। बी.पी.एल. सेन्सस 2002 के अनुसार तैयार की गई सूची के विरुद्ध 'पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज' द्वारा मा.उच्चतम न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका के कारण बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप नहीं दिया जा सका। भारत सरकार द्वारा 10 अक्टूबर, 05 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में प्रदेश सरकार ने 22 नवम्बर, 05 को सभी जिलाधिकारियों को यह आदेश प्रसारित किये कि निर्धारित समय सारिणी के अनुसार 15 मार्च, 06 तक बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप दिया जाय।

कार्यनीति :

उपरोक्त स्थिति एवं बी.पी.एल. सूची को अंतिम रूप दिये जाने की निर्धारित समय-सारिणी से ऐसा लगता है कि लक्षित वर्ग को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने की कार्य-प्रक्रिया कहीं-न-कहीं रुक सी गई है। अब यह देखने की अविलम्ब आवश्यकता है कि क्या निर्धारित समय सारिणी का अनुपालन हो रहा है? इसके साथ ही, गरीबी रेखा निर्धारण करने में निर्धारित मानकों का अनुपालन किस सीमा तक हो रहा है? तैयार की गई सूची की गुणवत्ता किस प्रकार की है? इसके लिये उपवन से सम्बद्ध स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से निर्धारित प्रारूप / अनुसूची द्वारा तथ्यों का संकलन और संकलित तथ्यों का विश्लेषण कर प्रतिवेदन लिखकर उसका व्यापक प्रसार किया जाना है। इस सम्बंध में मीडिया एवं प्रबुद्ध वर्ग की एक कार्यशाला राज्यस्तर पर आयोजित करके उत्तर प्रदेश शासन के अधिकारियों एवं विधायिका के माननीय सदस्यों का भी ध्यान आकृष्ट किया जायेगा।

दोपहर भोजन योजना :

उत्तर प्रदेश में दोपहर भोजन योजना भारत सरकार

के दिशा-निर्देशों के अनुसार 15 अगस्त, 1995 से ही प्रारम्भ कर दी गई थी तथा माननीय उच्चतम न्यायालय के 28 नवम्बर, 2001 के आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में इस योजना को लागू कर दिया गया है। स्कूलों में भोजन पकाने का दायित्व ग्राम पंचायतों को दिया गया है।

कार्यनीति :

दोपहर भोजन योजना के संबंध में किये गये कतिपय अध्ययनों एवं मीडिया (इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सहित) में प्रदर्शित तथ्यों से परिलक्षित होता है कि यह योजना यद्यपि प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन बढ़ाने में सहायक हुई है, किंतु बच्चों को भोजन की उपलब्धता नियमित नहीं हो रही है। सबसे दुःखद प्रकरण यह है कि उपलब्ध कराये गये भोजन की गुणवत्ता बहुत ही निम्न कोटि की है। कई समाचार इस प्रकार के भी आये हैं जिनमें यह बताया गया है कि कुछ बच्चे स्कूल में भोजन करके बीमार भी हो गये हैं। ऐसी स्थिति में तथ्यों की जानकारी की जानी आवश्यक है। इसके लिये उपवन द्वारा अपने नेटवर्क की सहायता से वस्तुस्थिति का अध्ययन कराया जायेगा। अध्ययन में प्राप्त तथ्यों को प्रतिवेदन के रूप में प्रकाशित करके मीडिया एवं कार्यशाला के माध्यम से जनमानस, विधायिका, प्रबुद्ध वर्ग एवं संबंधित अधिकारियों का ध्यान आकृष्ट किया जायेगा। स्थिति में सुधार परिलक्षित न होने पर जनहित याचिका दायर करने पर भी विचार किया जा सकता है।

उत्तर प्रदेश में स्वैच्छिक संगठनों का प्रदेशव्यापी नेटवर्क होने के नाते समसामयिक मुद्दों को लेकर भविष्य में भी पूर्व की भाँति एडवोकेसी की प्रक्रिया जारी रखने का उपवन का निर्णय है। समाज में उत्पन्न विसंगतियों तथा विकृतियों से अपने सदस्य संगठनों को सजग करने में भी मदद मिलेगी। सामाजिक परिवर्तन और विकास के प्रवाह में स्वैच्छिक संगठनों का योगदान निरंतर बना रहे, इसके लिये प्राथमिकता के आधार पर मुद्दों के चयन और एडवोकेसी की रणनीति निर्धारण में उपवन का प्रयास निरंतर जारी रहना है।